तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 132/2022(जी.सी.एम.एस. नंबर 2022/219) बअनवान कानसिंह बनाम भंवरसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता एवं विद्वान राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अदालत हाजा की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में अपने हक-हिस्से की भूमि में ट्यूबवेल हेतु कृषि कनेक्शन एवं निर्माणाधीन मकान के निर्माण की छूट प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2022 एवं 04.07.2022 के जरिये अपीलांट को वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष पूर्ण हो जाने से हस्तगत अपील में अपीलांट का कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में उक्त छूट निरंतर रखते हुए मामला प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 मार्च 2022 में पूर्व में अपीलांट के पक्ष में जारी निर्माणाधीन मकान को पूर्ण किये जाने की छूट को निरंतर रखते हुए मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	